2025/366

फर्द अहकाम

(नियम 15)

निर्णय
02.6.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

लालचन्द बनाम राधाकृष्ण आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 252 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
26.05.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 05.06.2025 को पेश हो।	
30.5.2025	वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी के लिए रखा। बुलाए पक्षकार उपस्थित। वादी व प्रतिवादी सं.1,2,4 व 6 ने हाजिर अदालत आपस में राजीनामा पेश किया जिसे वाद तरीक में शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते स्टेट प्रकाश आईन्दा तारीख 2.6.2025 को पेश हो।	
2.6.2025	बुलाए पक्षकार उपस्थित। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड आदि व वादी प्रतिवादी के राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय नकल के लिखाया जाकर पत्रावली फाईल किया जावे। पत्रावली जरिये [illegible] की बाबत वाद तरीक तामील [illegible] हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.06.22 14:09:58 IST
Reason: SelfAttested